



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16092026-276240
CG-MH-E-16092026-276240

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539]
No. 539]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2026/भाद्र 16, 1948
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/BHADRA 16, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक
(केंद्रीय कार्यालय)
अधिसूचना

मुंबई, 31 जुलाई, 2026

फा. सं. विवि.एलआईसी.सं.एस3674/16.13.215/2026-27.— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को हटा दिया जाये।

आर. लक्ष्मी कान्त राव, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./308/2026-27]

RESERVE BANK OF INDIA
(Central Office)
NOTIFICATION

Mumbai, the 31st July, 2026

F. No. DoR.LIC.No.S3674/16.13.215/2026-27.— In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion of Paytm Payments Bank Limited from the Second Schedule to the said Act.

R. LAKSHMI KANTH RAO, Executive Director
[ADVT.-III/4/Ext./308/2026-27]

6851 GI/2026